प्रकरण संख्या 19/17 श्रीमती देउबाई बनाम देवीलाल व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.11.2019	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम धनोली में प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 से 13 के संयुक्त खातेदारी की भूमियां स्थित हैं, जिसका खाता संख्या नया 140 पुराना 137 है, जिसका विवरण प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट ''क'' में किया गया है। उपरोक्त भूमियां प्रार्थी के पूर्वाधिकारी अमरा जी के खाते दर्ज थी, जिसके वारिसान प्रार्थी व विपक्षी संख्या 1 से 13 हैं। अमरा के 4 पुत्र दोला, हीरा, परसा व किशना तथा दो पुत्रियां गेंदी व नोजी हुई। दौला गोद जाने से उसका उक्त भूमियों में कोई हक हिस्सा शेष नहीं रहा, न ही उनका कब्जा रहा तथा प्रार्थी व विपक्षी संख्या 1 से 12 संयुक्त रूप से काबिज है, किन्तु राजस्व रेकार्ड में विपक्षी संख्या 13 का नाम दर्ज होने से विवादित भूमि का हस्तान्तरण करने पर आमादा हैं, जिसका उन्हें कोई हक व अधिकार नहीं है। अतः विपक्षी संख्या 13 को किसी प्रकार से बक्षीस व हस्तान्तरण नहीं करने तथा विपक्षी संख्या 1 से 12 को बिना विभाजन कराये भूमि का हस्तान्तरण नहीं करने हेतु जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किये जाने निवेदन किया। विपक्षी संख्या 13 की ओर से खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दौला जी कभी भी गोद नहीं गये। विवादित भूमि में विपक्षी संख्या 13 का भी हिस्सा होकर संयुक्त रूप से काबिज है। प्रार्थी ने मिथ्या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो सव्यय खारिज किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय उभयपक्षों को सुनकर अपने निर्णय दिनांक 05.06.2017 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दियाा, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 14.09.2017 को प्रस्तुत की गयी है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 14 से 16 राज्य सरकार की ओर से औपचारिक पक्षकार राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर	

प्रकरण संख्या 19/17 श्रीमती देउबाई बनाम देवीलाल व अन्य

उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में ही वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराया तथा मुख्य रूप से यह आपत्ति ली कि अधिनस्थ न्यायालय ने अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं की अलग–अलग व्याख्या नहीं की है। जब तब भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हो जाये प्रत्येक ईंच भूमि पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा माना जाता है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान राजकीय अभिभाषक ने प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय प्रकरण प्रकरण में पेशी दिनांक 23.05.2017 नियत की गयी इसके बाद प्रकरण सीधे ही दिनांक 05.06.2017 को लोक अदालत में रखकर निर्णय पारित कर दिया। इसके अलावा यह भी पाया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं पर किसी प्रकार का विस्तृत विवेचन नहीं किया है, मात्र एक लाईन में तीनों का विवेचन कर दिया है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय एवं विधि के विरूद्ध होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 05.06.2017 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में पक्षकारों को विधिवत सुनकर उपलब्ध साक्ष्य सबूतों के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं पर विस्तुत विवेचन करते हुए निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 24.01.2020 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 25.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

प्रकरण संख्या 19/17 श्रीमती देउबाई बनाम देवीलाल व अन्य

प्रकरण संख्या 19/17 श्रीमती देउबाई बनाम देवीलाल व अन्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Jodhawat
Date: 2019.12.04 16:15:12 IST
Reason: SelfAttested
Location: